Alberta

समाचार विज्ञप्ति

जीवन रक्षा के लिए नए अनिवार्य प्रांत-व्यापी निर्देश

दिसंबर 08, 2020 मीडिया पूछताछ

जीवन रक्षा के लिए नए अनिवार्य स्वास्थ्य निर्देश तत्काल लागू किए जाते हैं।

विस्तारित स्वास्थ्य निर्देश पूरे प्रांत में लागू होंगे। सभी एल्बर्टावासियों, व्यवसायों, संगठनों और सेवा प्रदाताओं को सभी नए स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना होगा। ये प्रतिबंध कम से कम चार सप्ताहों के लिए लागू होंगे।

"एल्बर्टा ने महामारी के आरंभ से ही जीवन और आजीविका - इन दोनों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में COVID-19 के कारण अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ौत्तरी को देखते हुए यदि तुरंत आगे की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इससे हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और कई कमजोर एल्बर्टावासियों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। 2021 के आरंभ में टीके के आसार दिखने से अब इस भयानक दौर का अंत भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सभी एल्बर्टावासियों को पहले से भी अधिक गंभीरता के साथ यथासंभव घर में रहना चाहिए और उन्हें नए निर्देशों का पालन करना होगा।"
जेसन केनी, प्रीमियर

"एल्बर्टा में संक्रमण के मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या इस सीमा तक पहुंच गई है, जहां हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ये नए अनिवार्य स्वास्थ्य निर्देश हमारे द्वारा लागू किए जाने वाले सबसे कड़े निर्देशों में से हैं, लेकिन ये हमारे प्रांत के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।"
टायलर शैंड्रो, स्वास्थ्य मंत्री

"ये अनिवार्य निर्देश COVID-19 के फैलाव को धीमा करने में हमारी सहायता करेंगे। इसके लिए व्यक्तिगत बलिदानों की आवश्यकता होगी, जो हमारे प्रांत की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यह केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह ऐसा सब-कुछ करने के बारे में है जिससे हम अपने प्रियजनों, सहकर्मियों, पड़ोसियों और यहां तक कि अजनबियों को भी बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। इन जनस्वास्थ्य निर्देशों का अनुपालन करना यह दिखाता है कि एल्बर्टावासियों

मल्टीमीडिया

समाचार सम्मेलन देखें

मीडिया पूछताछ

क्रिस्टीन मायट
780-446-2179
उप निदेशक संचार/प्रेस सचिव,
प्रीमियर कार्यालय

के रूप में हम कैसे एक-दूसरे की देखभाल करते हैं और सभी को सुरक्षित रखते हैं।"
डॉ. दीना हिनशॉ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य

सामाजिक मेल-मिलाप और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के संबंध में नए विस्तारित अनिवार्य निर्देश 8 दिसंबर से लागू हैं। अन्य सभी निर्देश दिसंबर 13 को मध्यरात्रि 12:01 बजे से लागू होंगे।

सामाजिक मेल-मिलाप - तत्काल

- सभी इनडोर और आउटडोर सामाजिक मेल-मिलापों - सार्वजनिक और निजी - के लिए निषेध है।
- निकट संपर्कों में केवल घर के सदस्य ही शामिल हैं।
    - अकेले रहने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने आने-जाने वाले लोगों के लिए अधिकतम दो निकट संपर्कों से मिलने की अनुमति होगी, और प्रतिबंध की अवधि में केवल उन्हीं दो लोगों से मिला जा सकता है।
- त्यौहारों, परेड, कार्यक्रमों, संगीत, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, खेलों और प्रदर्शनों के लिए निषेध जारी है।

मास्क पहनना - तत्काल

- इनडोर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को पूरे प्रांत के लिए बढ़ाया जाएगा।
    - सार्वजनिक स्थानों में ऐसे स्थान शामिल हैं जहाँ किसी व्यवसाय या निकाय का संचालन किया जाता है और यह निर्देश कर्मचारियों, आगंतुकों और आम लोगों के लिए लागू है।
    - सभी इनडोर कार्यस्थलों और घर से बाहर की सुविधाओं के लिए लागू होता है।
    - खेतों के परिचालन-कार्यों के लिए अपवाद है।
    - केवल निजी आवास के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किराए के स्थलों के लिए अपवाद है।

उपासना स्थल – मध्यरात्रि 12:01 बजे, 13 दिसंबर से आरंभ

- सभी उपासना स्थलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या अग्नि संहिता के 15 प्रति शत तक सीमित होगी।
    - वर्चुअल या ऑनलाइन सेवाओं को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।
    - ड्राइव-इन सेवाओं की अनुमति होगी, जिनमें लोग अपने-अपने वाहनों के अंदर रहते हैं और दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं, और ये क्षमता प्रतिबंधों के अधीन नहीं होगी।
    - अनिवार्य मास्क जनादेश, शारीरिक दूरी और अन्य दिशा-निर्देश पहले की तरह ही लागू हैं।

रिटेल - मध्यरात्रि 12:01 बजे, 13 दिसंबर से आरंभ

- रिटेलरों की क्षमता 15 प्रति शत है, लेकिन यदि 15 प्रति शत में पांच से कम ग्राहक आते हैं, तो भी किसी एक समय में स्टोर के अंदर पांच ग्राहक होने की अनुमति है।
    - कर्बसाइड पिकअप, डिलीवरी और ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।
- शॉपिंग मॉलों में उपस्थित होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या अग्नि संहिता के 15 प्रति शत तक सीमित होगी।

निषेध - मध्यरात्रि 12:01 बजे, 13 दिसंबर से आरंभ

- रेस्तरां, पब, बार, लाउंज और कैफे इन-पर्सन सेवाओं के लिए बंद रहेंगे।
- केवल टेकआउट, कर्बसाइड पिकअप और डिलीवरी सेवाओं की अनुमति है।
- कैसिनों, बिंगो हॉल, गेमिंग मनोरंजन केंद्र, रेसिंग मनोरंजन केंद्र, हॉर्स ट्रैक, रेसवे, बोलिंग एलीज़, पूल हॉल, लीजियन्स और निजी क्लब बंद रहेंगे।
- मनोरंजन सुविधाएँ - फिटनेस सेंटर, मनोरंजन केंद्र, पूल, स्पा, जिम, स्टूडियो, दिन और रात के कैंप, इनडोर रिंक और एरिना - बंद रहेंगे।
- आउटडोर मनोरंजन की अनुमति है, लेकिन शौचालय के अलावा इनडोर स्थलों वाली सुविधाएं बंद रहेंगी।
- मनोरंजन व्यवसाय और निकाय - पुस्तकालय, विज्ञान केंद्र, इंटरप्रेटिव केंद्र, संग्रहालय, कलादीर्घाएँ, मनोरंजन पार्क और वाटर पार्क - बंद रहेंगे।
- होटल खुले रह सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा - स्पा, पूल या बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। केवल कमरे की सेवाएं उपलब्ध होंगी।
- हेयर सैलून, नाखून सैलून, मसाज, टैटू और पियर्सिंग सहित व्यक्तिगत और स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।
- स्वास्थ्य सेवाएं व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए खुली रहेंगी, जिनमें फिजियोथेरेपी या एक्यूपंक्चर, सामाजिक या सुरक्षात्मक सेवाएं, आसानी से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आश्रय, आपातकालीन सेवाएं, शिशु देखभाल और गैर-लाभ सामुदायिक किचन या धर्मार्थ किचन शामिल हैं।

घर से कार्य - मध्यरात्रि 12:01 बजे, 13 दिसंबर से आरंभ

- जब तक कार्य-नियोक्ता यह निर्धारित न करे कि कार्य के प्रभावी परिचालन के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, तब तक घर से कार्य करने के निर्देश लागू होंगे।

निषेध - 27 नवंबर से जारी

- मनोरंजन व्यवसाय और निकाय - सामुदायिक हॉल और केंद्र, बच्चों के खेलने के इनडोर केंद्र और इनडोर खेल के मैदान, थिएटर, ऑडिटोरियम, कॉन्सर्ट हॉल, और सामुदायिक थिएटर, नाइट क्लब, बैंक्वेट हॉल और सम्मेलन केंद्र, इनडोर और आउटडोर उत्सव, ड्राइव-इन आयोजनों के अपवाद के साथ संगीत कार्यक्रम, ट्रेडशो और खेल स्पर्धाएँ या प्रतियोगिताएँ बंद रहेंगी।